



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

नियंत्रित अधिकारी- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सदस्य वाद संख्या: 2012/95

दायर दिनांक 25.04.2012

वादी	प्रतिवादीगण
1. दामचन्द्र पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	1. पुत्ताराम पुत्र कालूराम 2. सन्पत कुमार पुत्र जगदीश 3. रामदयाल पुत्र जगदीश 4. बुल्ली पत्नी जगदीश 5. रामगोपाल पुत्र जयनारायण 6. राधेश्याम पुत्र जयनारायण 7. गोदावरी पुत्री जयनारायण 8. लीला पुत्री जयनारायण 9. इन्द्र पुत्री जयनारायण 10. सीताराम पुत्र धन्नाराम 11. राजुराम पुत्र सीताराम 12. हीरालाल पुत्र सीताराम 13. बनवारीलाल पुत्र तिलोकाराम 14. रतनलाल पुत्र तिलोकाराम 15. मुन्नालाल पुत्र तिलोकाराम 16. रामप्रसाद पुत्र तिलोकाराम 17. सोहनलाल पुत्र तिलोकाराम 18. तिमला पुत्री तिलोकाराम 19. सुखी देवी पत्नी तिलोकाराम 20. मूलाराम पुत्र दुर्गाराम 21. तिजुदेवी पत्नी दुर्गाराम समस्त जाति प्रजापत निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 22. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा - 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता वादी।

-: प्राथमिक निर्णय :-

दिनांक 26.04.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 21 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 563 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा व खसरा सं० 356 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद दौलतपुरा में अवस्थित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

वादी के दादा धन्नाराम के पांच सन्तान हुई व उन पांच सन्तानों में वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 04 स्व० कालूराम के वारिसान व प्रतिवादी सं० 05 ता 09 स्व० जयनारायण के वारिसान व प्रतिवादी सं० 10 धन्नाराम जी की सन्तान व प्रतिवादी सं० 13 ता 19 स्व० तिलोकाराम के वारिसान व प्रतिवादी सं० 20 व 21 स्व० दुर्गराम के वारिसान है। इस प्रकार उपरोक्त खेत खसरा नम्बरान में वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 04 के 1/5 भाग, प्रतिवादी सं० 05 ता 09 के 1/5 भाग, प्रतिवादी सं० 10 के 1/5 भाग, प्रतिवादी सं० 13 ता 19 के 1/5 भाग, प्रतिवादी सं० 20 व 21 के 1/5 भाग भूमि बंट में आई हुई है। राधेश्याम प्रतिवादी सं० 06 ने अपने हिस्से में से प्रतिवादी सं० 10 को भूमि बेचान कर दी है जो खसरा सं० 356 में से की है। खसरा सं० 563 में से प्रतिवादी सं० 20 व 21 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 11 व 12 व नानूराम पुत्र सीताराम को बेचान किया, नानूराम जो नाऔलाद फौत हो गया। स्व० तिलोकाराम ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 11 व 12 व नानूराम को बेचान कर दिया। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा मौके पर उसी अनुसार कब्जा काशत है तथा अलग अलग ही कमाते खाते है।

प्रार्थना वादी है कि वाद व नजरी नक्शा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 22 बावजुद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी उपस्थित। एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी को सुना गया। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद दौलतपुरा के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश :-

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद दौलतपुरा के खेत खसरा सं० 563 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा व खसरा सं० 356 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा आराजी उपर्युक्त का वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 21 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक A.कलेक्टर

डीडवाना कान्पुर

डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक A.कलेक्टर

डीडवाना कान्पुर

डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक-95-2012/रीडर/2017/

दिनांक

प्रेषित-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत
धोषणा खातेदारी व बंटवारा व स्थाई निषघाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दीपचन्द पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0		1. पुसाराम पुत्र कालूराम वगैराह समस्त जाति प्रजापत निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक तक आवश्यक रूप से भिजवायें, वशर्त किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना